

सं-Estt(Au)/COVID-19/2020-21/C-25

दिनांक -19.04...2021

कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा),बिहार सरकार ,पटना ने अपने ज्ञापन संख्या-G/Estate/06-2/2020-40 (वि.स.को.),पटना के द्वारा दिनांक 18.04.2021 को राज्य में COVID-19 वायरस के फैलाव को रोकने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं,जो 15.05.2021 तक प्रभावी रहेगा।

उपरोक्त आदेश के पैरा 2 के अनुसार सरकारी कार्यालय पूर्वाह्न 5 बजे तक बन्द हो जाएंगे।

उपरोक्त आदेश के अनुसरण में ,कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा),बिहार,पटना आज 19...04.2021 से 15.05.2021 तक 5 बजे पूर्वाह्न तक ही कार्यरत रहेगा।

यह आदेश महालेखाकार(लेखापरीक्षा)के अनुमोदन से जारी हुआ।

-:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रतिलिपि प्रेषित:-

ह/-

उपमहालेखाकार(प्रशासन)

- 1.अपर नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक(पूर्वी क्षेत्र)
भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124
- 2.महानिदेशक(मुख्यालय),
भारत के नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,नई दिल्ली-110124
- 3.महालेखाकार(लेखापरीक्षा),बिहार,पटना के सचिव
- 4.सभी ग्रुप ऑफिसर्स के सचिवालय
- 5..उपनिदेशक/केंद्रीय प्रक्षेत्र के सचिवालय
- 6.सभी नियंत्री ए.एम.जी./अनुभागों के वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
- 7..वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी /AMS को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 8.नोटिस बोर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप
- 9.नोटिस बोर्ड और सभी एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप